e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या : 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा) बेगूसराय– 20/2022 9116 **पटना, दिनांक** : 05/12/2023

आदेश

बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय के अन्तर्गत डंडारी शिविर–01 में पदस्थापित विशेष सर्वेक्षण अमीनों (08) के द्वारा शिविर प्रभारी मो0 उमर फारूक (Emp.ID-ASO00003), विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के विरूद्ध दिनांक 17.08.2023 को हस्ताक्षरित परिवाद पत्र समर्पित किया गया है।

प्राप्त परिवाद के जांच हेतु निदेशालय स्तर पर इस कार्यालय के पत्रांक संख्या– 6875 दिनांक 08.09.2023 यथा संशोधित पत्रांक 7095 दिनांक 18.09.2023 द्वारा दो सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। जांच टीम को निदेशित किया गया है कि वर्णित मामले की जांच कर अपना प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

जांच टीम द्वारा उपरोक्त मामले की स्थलीय जांच दिनांक 19.09.2023 को किया गया है एवं अपना जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरोपित मो0 उमर फारूक (Emp.ID-ASO0003), विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के विरूद्ध कतिपय गंभीर आरोप यथा– अकारण स्थानान्तरण, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, उपस्थिति पंजी में छेड़–छाड़ करने, सम्प्रदाय के आधार पर पक्षपात करने के साथ–साथ अन्य आरोप लगाये गए हैं। जांच दल द्वारा इनके विरूद्ध लगाये गए आरोप में कतिपय आरोपों को सत्य पाया गया है। जांच टीम के जांच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित मो0 फारूक से उनके कृत्यों के कारण संविदा नियोजन समाप्ति के विरूद्ध स्पष्टीकरण की मांग इस कार्यालय के पत्रांक–8485 दिनांक 11.10.2023 के द्वारा की गई है।

आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में इनके द्वारा सर्वेक्षण से संबंधित कार्यों का उल्लेख करते हुए अपने उपर लगाये गए आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है।

आरोपित पर लगाये गए आरोप एवं जांच दल के जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाता हूं कि आरोपित के द्वारा वेतन रोकने की कार्रवाई में श्री प्रभात कुमार तिवारी का मानदेय बगैर कारण पृच्छा का मानदेय रोका गया, जबकि शमीमा खातुन का मानदेय कारण पृच्छा के बावजूद भी निर्गत कर दिया गया है। इसी प्रकार मानसी जायसवाल का कार्य मौजा में शेष रहने के बावजूद दूसरे मौजा में इनके द्वारा स्थानान्तरण की कार्रवाई की गई है। उपस्थिति के संदर्भ में जांच के क्रम में श्री प्रभात कुमार तिवारी द्वारा सूचना दी गई है कि 31 जुलाई 2023 को कतिपय कर्मी अनुपस्थित थे, परन्तु इनके द्वारा ऑनलाईन उपस्थित कर दिया गया है। इनके द्वारा महिलाओं के साथ अमर्यादित एवं अनुचित आचरण किये जाने के आलोक में जांच दल के समक्ष अपनी गलती स्वीकार किया गया है।

जांच दल का विस्तृत प्रतिवेदन तथा इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ये अपने कार्यालय को मनमाने ढंग से तथा बगैर वरीय पदाधिकारियों के अनुमोदन के अनुशासनहीनतापूर्वक कार्यालय का संचालन किया गया है। इनका महिलाओं के प्रति स्वच्छ आचरण नहीं पाया गया है। इस प्रकार के कर्मी को सेवा में बनाये रखने से इसका प्रतिकूल प्रभाव अन्य कर्मियों पर न पड़े इसके दृष्टिगत इन्हें सेवा में बनाये रखना उचित नहीं है।

अतः जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए, बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 8(4) के आलोक में **मो0 उमर फारूक (Emp.ID-ASO00003), विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी** का संविदा नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

05/12/23
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा) बेगूसराय– 20/2022 9116 **पटना, दिनांक** : 05/12/2023

प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/12/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Satish-2023\Bablu Sir\Order\20-2022-29-11-2023.doc

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा) बेगूसराय– 20/2022 ....9116.... **पटना, दिनांक** :05/12/2023

प्रतिलिपि : मो0 उमर फारूक (Emp.ID-ASO0003), विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा) बेगूसराय– 20/2022 ....9116.... **पटना, दिनांक** :05/12/2023

प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि इसकी स्कैन कॉपी R2R के अन्तर्गत संधारित संबंधित का व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करें।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
4/12/23